संख्या– 41/2021/639/छप्पन-2021-31/2016

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2021

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु अर्जित की जा रही भूमि के अतिरिक्त परियोजना में आ रही श्रेणी 6(2) आबादी के खाते की भूमि पर स्थित आबादी/भवन इत्यादि परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि पर भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तोषण सहित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-598/ए.एफ.-2021-116/2016 दिनांक 12 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहीत की गयी सरकारी भूमि 94.8584 है0 में सम्मिलित श्रेणी 6(2) (आबादी) इत्यादि की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों यथा भवन, वृक्ष, बोरिंग, हैण्डपम्प इत्यादि की मूल्यांकन आख्या की धनराशि एवं उस पर 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि सहित रू0 1,06,53,78,733/- (रूपया एक अरब छः करोड़ तिरेपन लाख अठहत्तर हजार सात सौ तैंतीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहीत की गयी सरकारी भूमि 94.8584 है0 में सम्मिलित श्रेणी 6(2) (आबादी) इत्यादि की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों यथा भवन, वृक्ष, बोरिंग, हैण्डपम्प इत्यादि की मूल्यांकन आख्या की धनराशि रू0 53,26,89,366.66/- (रूपए तिरपन करोड़ छब्बीस लाख नवासी हजार तीन सौ छाछठ मात्र) एवं उस पर 100 प्रतिशत तोषण की धनराशि रू0 53,26,89,366.66/- (रूपए तिरपन करोड़ छब्बीस लाख नवासी हजार तीन सौ छाछठ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,06,53,78,733/- (रूपया एक अरब छः करोड़ तिरपन लाख अठहत्तर हजार सात सौ तैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा इस धनराशि का व्यय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,06,53,78,733/- (रूपया एक अरब छः करोड़ तिरपन लाख अठहत्तर हजार सात सौ तैंतीस मात्र) को तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजीगत लेखा-लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 503/दस-2021, दिनांक 16 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 41/2021/639(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर।

4- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

7- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।